राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या :– 2131, 2132, 2133, 2134 व 2135/2015.....जिला–जयपुर।

उनवान– मैसर्स फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, राजस्थान, वृत–द्वितीय, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.12.2015	**खण्डपीठ** **श्री.सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री पंकज घीया, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 26.11.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, राजस्थान, वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा वैट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के लिए पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.09.2015 में निम्न तालिका के अनुसार मांग सृजित की है, अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त सृजित मांग राशियों में से निम्न तालिका के अनुसार आंशिक राशियों पर स्थगन प्रदान किया गया है, अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य शेष राशियों पर रोक लगाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने निम्न तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित शेष राशियों पर स्थगन प्रदान नहीं किया गया है, जिनको स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है :–	

अ.सं	अ. अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु विवादित राशि	अ. अधिकारी द्वारा स्थगित की राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
2131/15	10,45,794/–	8,13,395/–	2,03,350/–
2132/15	15,92,044/–	12,53,506/–	2,92,791/–
2133/15	26,15,733/–	20,86,360/–	4,51,523/–
2134/15	23,68,443/–	19,15,222/–	3,80,122/–
2135/15	49,82,447/–	40,88,161/–	7,34,592/–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करने पर पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एलईडी स्ट्रीट लाईट की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से की गई है जबकि बिक्रीत एलईडी स्ट्रीट लाईट अधिनियम की अनुसूची पंचम के अन्तर्गत 14 प्रतिशत से कर योग्य है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने बिकीत एलईडी

स्ट्रीट लाईट की बिक्री पर 14 प्रतिशत से कर देय मानते हुए अन्तर कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण करते हुए मांग सृजित की है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग पर अपीलीय अकिारी के समक्ष स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने उपरोक्त तालिका के अनुसार सृजित मांग पर आंशिक स्थगन प्रदान किया है, जिसके विरूद्ध ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों का समर्थन करते हए कथन किया गया है कि विवादित एलईडी स्ट्रीट लाईट की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से की गई है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वस्तुओं की बिक्री को 14 प्रतिशत से कर योग्य माना गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग पर, विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में बिना कोई कारण अंकित किये उसके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों आंशिक स्वीकार किया है, जो उचित नहीं है, इसलिए प्रकरण एवं सुविधा सन्तुलन व्यवहारी पक्ष में होने से उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित राशियों को स्थगित करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी–पक्ष की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए कथन किया गया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने पर्याप्त राशि पर स्थगन प्रदान कर दिया गया है, अतः अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र उचित नहीं होने से उन्हें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे ज्ञात होता है कि विवादित एलईडी स्ट्रीट लाईट की बिक्री पर कर की दर का विवाद अपीलों में अंतर्ग्रस्त(involve) है।

बहस एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना पत्रों में स्थगन हेतु आवेदित राशियों को पूर्ण रूप से स्थगित नही करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विधिक कारण अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं कर स्थगन आवेदन पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित राशियों, कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर वसूली कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य